वित्तीय स्वीकृति

संख्या: 8/1607 प्रो0/51-2014-14(37)/2011

प्रेषक,

इन्द्र राज सिंह,
उप सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी
झाँसी ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2014

विषय:- राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः **2119/न0म0-अह0द्वि0/वी0आई0पी0/2013-2014,** दिनांक **23** सितम्बर, **2013** के संदर्भ में शासनादेश संख्याः **1144 प्रो0/51-2013-14(37)/2011,** दिनांक **14** मार्च, **2013** को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित संलग्न विवरण के अनुसार उल्लिखित देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रु **4,59,577=00** (रुपये चार लाख उनसठ हजार पांच सौं सतत्तर मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0 डी0 ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-**1** पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा हैं। उक्त से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किये जा रहे हैं ।

.....2

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्री स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार मूलदेयक।

भवदीय,

इन्द्र राज सिंह
उप सचिव।

संख्याः 1607 (1) प्रो0/51-2014-14(28)/2012, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
3- कोषाधिकारी, झाँसी ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, झाँसी/कानपुर/आगरा।
6- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

इन्द्र राज सिंह
उप सचिव।

http://sandesh.up.nic.in